श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ऐ–12

प्रश्नकर्त्ता श्री समीर कुमार महासेठ, स.वि.स. प्रश्न संख्या–ऐ–12, क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तरदाता श्रीमती बीमा भारती, मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला में गन्ना की खेती होती है परंतु लोहट चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण उसकी जमीन बियाडा को दिये जाने से किसान गन्ना की खेती बन्द करते जा रहे है, यदि हाँ, तो सरकार इसके निदान हेतु कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाई लोहट को गन्ना कृषकों एवं मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योगों के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए पाँच निविदा प्रक्रियायें सम्पन्न की गयी, परन्तु मधुबनी जिला अन्तर्गत बंद पड़े लोहट चीनी मिल के पुनर्जीवन हेतु कोई भी सफल निवेशक उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। मधुबनी जिला में उत्पादित गन्ने का उपयोग गुड़ निर्माण में किया जाता है।

श्री शत्रुधन तिवारी, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–8

प्रश्नकर्त्ता श्री शत्रुधन तिवारी, स.वि.स. प्रश्न क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		उत्तरदाता श्रीमती बीमा भारती, मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
क्या यह बात सही है कि सारण जिला में आम एवं लीची का उत्पादन बड़े पैमाने पर होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार सारण जिला के मढ़ौरा स्थित बंद चीनी मिल की भूमि पर आम एवं लीची का प्रसंस्करण उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?		उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अन्तर्गत बंद पड़े मढ़ौरा चीनी मिल ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन (BIC) ग्रुप की एक इकाई है। जिसपर केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वामित्व है। चूँकि मढ़ौरा स्थित जमीन बिहार सरकार के अधीन नहीं है। अतः वहाँ पर आम एवं लीची का प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री शत्रुधन तिवारी, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–8		
<u>प्रश्नकर्त्ता</u> श्री शत्रुधन तिवारी, स.वि.स. <u>प्रश्न</u> क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		<u>उत्तरदाता</u> श्रीमती बीमा भारती, मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। <u>उत्तर</u>
क्या यह बात सही है कि सारण जिला में आम एवं लीची का उत्पादन बड़े पैमाने पर होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार सारण जिला के मढ़ौरा स्थित बंद चीनी मिल की भूमि पर आम एवं लीची का प्रसंस्करण उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?		उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अन्तर्गत बंद पड़े मढ़ौरा चीनी मिल ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन (BIC) ग्रुप की एक इकाई है। जिसपर केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वामित्व है। चूँकि मढ़ौरा स्थित जमीन बिहार सरकार के अधीन नहीं है। अतः वहाँ पर आम एवं लीची का प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री राघव शरण पाण्डेय, स० वि० स० द्वारा बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–10

प्रश्नकर्त्ता श्री राघव शरण पाण्डेय, स॰वि॰स॰ प्रश्न संख्या–ईख–10, क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्रीमती बीमा भारती, मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य में पेराई सत्र 2017–2018 से अभी तक के तीन वर्षो में प्रीमियम, सामान्य एवं निम्न भेराइटी के गन्ने का मूल्य क्रमशः 310, 290 एवं 265 रूपये की दर पर निर्धारित है एवं आज तक दर में वृद्धि नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में गन्ना के उक्त किस्म के मूल्य की वृद्धि कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि CWJC No. 12717/1996, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार को ईख मूल्य निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा पेराई सत्र 2019–20 के लिए ईख मूल्य निम्नरूपेण घोषित किया गया है एवं उसके अनुरूप ही चीनी मिलों द्वारा ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है:– (i) उत्तम प्रभेद – 310 रू०/क्विंटल। (ii) सामान्य प्रभेद– 290 रू०/क्विंटल। (iii) निम्न प्रभेद – 265 रू०/ क्विंटल।

श्री राघव शरण पाण्डेय, स० वि० स० द्वारा बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–10

प्रश्नकर्त्ता श्री राघव शरण पाण्डेय, स॰वि॰स॰ प्रश्न संख्या–ईख–10, क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		उत्तरदाता श्रीमती बीमा भारती, मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य में पेराई सत्र 2017–2018 से अभी तक के तीन वर्षो में प्रीमियम, सामान्य एवं निम्न भेराइटी के गन्ने का मूल्य क्रमशः 310, 290 एवं 265 रूपये की दर पर निर्धारित है एवं आज तक दर में वृद्धि नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में गन्ना के उक्त किस्म के मूल्य की वृद्धि कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?		उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि CWJC No. 12717/1996, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार को ईख मूल्य निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा पेराई सत्र 2019–20 के लिए ईख मूल्य निम्नरूपेण घोषित किया गया है एवं उसके अनुरूप ही चीनी मिलों द्वारा ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है:– (i) उत्तम प्रभेद – 310 रू०/क्विंटल। (ii) सामान्य प्रभेद– 290 रू०/क्विंटल। (iii) निम्न प्रभेद – 265 रू०/ क्विंटल।

माननीय स0वि0स0, श्री अमित कुमार द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ईख–11 का उत्तर सामग्री

प्रश्न		उत्तर सामग्री
(क) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखण्ड के रीगा चीनी मिल प्रक्षेत्र में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना नहीं होने के कारण गन्ना किसान जानकारी के अभाव में गन्ना फसल का संरक्षण नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें लाखों रूपये का नुकसान उठाना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार रीगा चीनी मिल प्रक्षेत्र में एक गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?		उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य में गन्ना अनुसंधान संस्थान खोलने का प्रस्ताव विभागीय पत्रांक–1756 दि०–24.08.2016 द्वारा भारत सरकार को भेजा गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, भारत सरकार के पत्र सं०–CS-8-1/2015-CC(part) दिनांक–17.10.2016 के द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार राज्य में कार्यरत दो गन्ना अनुसंधान संस्थान यथा–ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर), लखनऊ के अलावे तीसरा ईख अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती पूनम देवी यादव, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–7

प्रश्नकर्ता श्रीमती पूनम देवी यादव, स॰वि॰स॰ प्रश्न क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्रीमती बीमा भारती, मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला गन्ना की खेती के लिए सुरक्षित क्षेत्र घोषित है जिसके लिए किसानों को हसनपुर सुगर मिल के द्वारा मानसी, महेशखूँठ और बदला रेलवे परिसर में धर्मकाँटा सहित रेलवे बाँगी किसानों को वर्षो से उपलब्ध किया जाता था;	(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में हसनपुर–मानसी रैलखण्ड छोटी लाईन होने के कारण गन्ना ढुलाई मानसी, महेशखूँट एवं बदला रेलवे परिसर में रैलवे वैगन से होती थी। वर्तमान में बड़ी लाईन हो जाने के कारण रेलवे वैगन से गन्ना ढुलाई कार्य संभव नहीं है। क्योंकि चीनी मिल परिसर तक बड़ी लाईन नहीं है।
(2) क्या यह बात सही है कि हसनपुर सुगर मिल के द्वारा जिले के सभी मापी धर्मकाँटा को भी हटा लिया गया है जिससे किसानों को गन्ना ढुलाई एवं अन्य मद में अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है;	(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–1627 दिनांक–25.10. 2019 द्वारा खगड़िया जिले के अलौली प्रखण्ड के अन्तर्गत सोनिहार क्रय केन्द्र के परिचालन का आदेश दिया गया है। वहाँ जिले के किसानों को ईख क्रय की सुविधा दी गई है। इस क्रय केन्द्र पर 219 किसानों से 66,740 क्विंटल एवं मिल गेट पर 566 किसानों का 1,57,654 क्विंटल गन्ना क्रय किया गया है। खगड़िया जिले में किसानों को हसनपुर चीनी मिल में सीधे मिल गेट पर गन्ना क्रय करने की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुनः खगड़िया जिला के किसानों को गन्ना खेती हेतु महेशखूँट, मानसी और बदला रेवले परिसर में धर्मकाँटा और ढुलाई की व्यवस्था बहाल करने का विचार रखी है, नहीं तो क्यों ?	(3) उपरोक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्रीमती पूनम देवी यादव, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–7

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती पूनम देवी यादव, स.वि.स. प्रश्न क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		उत्तरदाता श्रीमती बीमा भारती, मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला गन्ना की खेती के लिए सुरक्षित क्षेत्र घोषित है जिसके लिए किसानों को हसनपुर सुगर मिल के द्वारा मानसी, महेशखूँठ और बदला रेलवे परिसर में धर्मकाँटा सहित रेलवे बॉगी किसानों को वर्षों से उपलब्ध किया जाता था;		(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में हसनपुर–मानसी रेलखण्ड छोटी लाईन होने के कारण गन्ना ढुलाई मानसी, महेशखूँट एवं बदला रेलवे परिसर में रेलवे वैगन से होती थी। वर्तमान में बड़ी लाईन हो जाने के कारण रेलवे वैगन से गन्ना ढुलाई कार्य संभव नहीं है। क्योंकि चीनी मिल परिसर तक बड़ी लाईन नहीं है।
(2) क्या यह बात सही है कि हसनपुर सुगर मिल के द्वारा जिले के सभी मापी धर्मकाँटा को भी हटा लिया गया है जिससे किसानों को गन्ना ढुलाई एवं अन्य मद में अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है;		(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–1627 दिनांक–25.10.2019 द्वारा खगड़िया जिले के अलौली प्रखण्ड के अन्तर्गत सोनिहार क्रय केन्द्र के परिचालन का आदेश दिया गया है। वहाँ जिले के किसानों को ईख क्रय की सुविधा दी गई है। इस क्रय केन्द्र पर 219 किसानों से 66,740 क्विंटल एवं मिल गेट पर 566 किसानों का 1,57,654 क्विंटल गन्ना क्रय किया गया है। खगड़िया जिले में किसानों को हसनपुर चीनी मिल में सीधे मिल गेट पर गन्ना क्रय करने की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुनः खगड़िया जिला के किसानों को गन्ना खेती हेतु महेशखूँट, मानसी और बदला रेवले परिसर में धर्मकाँटा और ढुलाई की व्यवस्था बहाल करने का विचार रखी है, नहीं तो क्यों ?		(3) उपरोक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री शत्रुधन तिवारी, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–9		
<u>प्रश्नकर्त्ता</u> श्री शत्रुधन तिवारी, स.वि.स. <u>प्रश्न</u> क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		<u>उत्तरदाता</u> श्रीमती बीमा भारती, मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। <u>उत्तर</u>
क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत आमनौर प्रखण्ड के अरना कोठी में कानपुर सुगर वर्क्स लिमिटेड का वर्षो से बन्द पड़ी चीनी मिल का लगभग 50 एकड़ भूमि बेकार पड़ा है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त भूमि पर गन्ना से इथेनौल उत्पादन उद्योग स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?		उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अन्तर्गत अमनौर प्रखंड के अरना कोठी में कानपुर सुगर वर्क्स लिमिटेड की बंद पड़ी चीनी मिल जिसपर ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन (BIC) ग्रुप अन्तर्गत केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वामित्व है। उक्त भूमि बिहार सरकार के अधीन नहीं है। अतः इस भूमि पर इथेनॉल प्लान्ट की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री शत्रुधन तिवारी, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–9	
<u>प्रश्नकर्त्ता</u> श्री शत्रुधन तिवारी, स.वि.स. <u>प्रश्न</u> क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	<u>उत्तरदाता</u> श्रीमती बीमा भारती, मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। <u>उत्तर</u>
क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत आमनौर प्रखण्ड के अरना कोठी में कानपुर सुगर वर्क्स लिमिटेड का वर्षो से बन्द पड़ी चीनी मिल का लगभग 50 एकड़ भूमि बेकार पड़ा है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त भूमि पर गन्ना से इथेनौल उत्पादन उद्योग स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अन्तर्गत अमनौर प्रखंड के अरना कोठी में कानपुर सुगर वर्क्स लिमिटेड की बंद पड़ी चीनी मिल जिसपर ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन (BIC) ग्रुप अन्तर्गत केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वामित्व है। उक्त भूमि बिहार सरकार के अधीन नहीं है। अतः इस भूमि पर इथेनॉल प्लान्ट की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री शत्रुघन तिवारी, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–9	
<u>प्रश्नकर्त्ता</u> श्री शत्रुघन तिवारी, स॰वि॰स॰ <u>प्रश्न</u> क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	<u>उत्तरदाता</u> श्रीमती बीमा भारती, मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। <u>उत्तर</u>
क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत आमनौर प्रखण्ड के अरना कोठी में कानपुर सुगर वर्क्स लिमिटेड का वर्षो से बन्द पड़ी चीनी मिल का लगभग 50 एकड़ भूमि बेकार पड़ा है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त भूमि पर गन्ना से इथेनौल उत्पादन उद्योग स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अन्तर्गत अमनौर प्रखंड के अरना कोठी में कानपुर सुगर वर्क्स लिमिटेड की बंद पड़ी चीनी मिल जिसपर ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन (BIC) ग्रुप अन्तर्गत केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वामित्व है। उक्त भूमि बिहार सरकार के अधीन नहीं है। अतः इस भूमि पर इथेनॉल प्लान्ट की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।